पी. संजीवा राओ

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

(क्रिमिनल अपील संख्या 874-875 of 2012)

जुलाई 2, 2012

[टी.एस. ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, जेजे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धाराए 311 और 242- गवाहों को वापस बुलाने की न्यायालय की शक्ति की सीमा और दायरा - धारा 7 और 13(1) सपठित धारा 13(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन- लगभग इसी समय अभियोजन पक्ष ने जब अपना साक्ष्य समाप्त कर लिया, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने पीडब्लू 1 शिकायतकर्ता और पीडब्लू 2 (एक स्वतंत्र गवाह) को वापस बुलाने के लिए 242 और 311 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की - अपीलकर्ता की यह याचिका थी कि पीडब्लू 1 और 2 की जिरह तब तक के लिए स्थगित कर दी गई थी जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रैप लेयिंग अधिकारी (पीडब्लू 11) को परीक्षित नहीं किया जाता है और चूंकि उक्त अधिकारी को परीक्षित किया जा चूका है, ऐसे में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने हेतु उक्त गवाहान को वापस बुलाया जाना चाहिए - आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया की रिकॉर्ड पर यह

दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बाद में कभी गवाहों से जिरह करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था और पीडब्लू 1 और 2 को उनके बयान लेखबद्ध हो जाने के साढ़े तीन साल से अधिक समय के बाद जिरह के लिए वापिस बुलाया जा रहा है वह भी उस घटना के लिए जो 7 साल पहले हुई थी जिसके संबंध में जांच के दौरान पीडब्लू 1 और 2 के बयान लेखबद्ध किये जा चुके थे, ऐसे में पीडब्लू 1 और 2 को वापस बुलाने से अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा - उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गयी - अपील में, प्रतिपादित किया: आम तौर पर गवाही की प्रकृति और क्या यह अभियुक्त को दोषी ठहराता है यह बात जिरह करने के निर्णय का मार्गदर्शक होता है - ऐसे मामले में इसका कोई सवाल ही नहीं होता की बचाव पक्ष उनसे जिरह नहीं करे जहां पीडब्लू 1 और पीडब्लू 2 ने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया और न केवल रिश्वत की मांग के संबंध में बल्कि अपीलकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति के संबंध में अभियोजन संस्करण का समर्थन किया है - कोई भी व्यक्ति यह सोचने पे मजबूर होगा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिरह इसलिए नहीं की गई थी क्यूंकि अपीलकर्ता के वकील का वास्तव में ट्रैप लेयिंग अधिकारी के बयानों के बाद उनसे जिरह करने का इरादा था - यह तथ्य कि जिस समय जिरह स्थगित की गई थी उस समय अपीलकर्ता ने इस आशय का कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया था और न ही अदालत से इस आशय की कोई मौखिक प्रार्थना की थी, यह एक गलती हो सकती है - लेकिनकेवल इसलिए कि एक गलती की गई थी,

इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि उसके वकील द्वारा की गई गलती की गंभीरता से पूरी तरह से अनुरूप दंड आरोपी को भुगतना पड़े - अभियोजन के प्रति संभावित प्रतिकूल प्रभाव कोई कीमत भी नहीं है, उस कीमत के समक्ष जो आरोपी को खुद का बचाव करने के उचित अवसर से वंचित करने को उचित ठहराए- निर्देश दिया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर 1 और 2 को ट्रायल कोर्ट द्वारा वापस बुलाया जाएगा और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिया जाएगा।

अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 7 और 13 (1) सपठित धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सी.बी.आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा दायर किया गया था। लगभग उसी समय जब अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य पूरा कर लिया, अपीलकर्ता ने धारा 242 और 311 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 शिकायतकर्ता और 2 (स्वतंत्र गवाह) को जिरह के लिए वापस बुलाने हेतु आपराधिक विविध याचिका दायर की। अपीलकर्ता का मामला यह था कि पीडब्लू 1 और 2 की जिरह तब तक के लिए स्थगित कर दी गई थी जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रैप लेयिंग अधिकारी (पीडब्लू 11) को परीक्षित नहीं किया जाता है और चूंकि उक्त अधिकारी को परीक्षित किया जा चूका है, ऐसे में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने हेतु उक्त गवाहान को वापस बुलाया जाना चाहिए। आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया

की रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बाद में कभी गवाहों से जिरह करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि पीडब्लू 1 और 2 को उनके बयान लेखबद्ध हो जाने के साढ़े तीन साल से अधिक समय के बाद जिरह के लिए वापिस बुलाया जा रहा है वह भी उस घटना के लिए जो 7 साल पहले हुई थी जिसके संबंध में जांच के दौरान पीडब्लू 1 और 2 के बयान लेखबद्ध किये जा चुके थे, ऐसे में पीडब्लू 1 और 2 को वापस बुलाने से अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अपीलकर्ता बिना किसी ठोस कारणों के गवाह को वापस बुलाने के लिए याचना नहीं कर सकता था। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसमे यह माना की चूंकि यह वर्ष 2005 का एक पुराना मामला था और मामला अब धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त के बयान मुल्जिम के स्तर पर है, ऐसे में अभियोजन पक्ष के गवाहान संख्या 1 और 2 को वापस बुलाने का कोई औचित्य नहीं रहने से पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

वर्तमान अपीलों में, अपीलकर्ता ने विभिन्न मुद्दे उठाए: 1) कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, बिना इस बात की परवाह किए कि अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई और उस उद्देश्य के लिए गवाहों को वापस बुलाना अस्वीकार

कर दिया गया तो; 2) कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, बिना इस बात की परवाह किए कि अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई और उस उद्देश्य के लिए गवाहों को वापस बुलाना अस्वीकार कर दिया गया तो; 3) कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने वाले वकील ने एक व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर किया है जिसमें यह कथन अंकित किया गया था कि पी.डब्ल्यू. 1 और 2 से उसने इस सदाशयी विश्वास के तहत जिरह नहीं की थी कि पीडब्लू-11 के साक्ष्य दर्ज होने के बाद वह ऐसा कर सकता है; 4) कि वकील ने यह मानकर गलती की होगी कि अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 और 2 को बाद के चरण में जिरह के लिए बुलाया जा सकता है हलाकि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को ऐसा करने की स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी, ऐसी गलती से अपीलकर्ता को उक्त गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर देने से इनकार करके विचारण को दूषित नहीं किया जाना चाहिए; 5) कि किसी मुकदमे में शामिल किसी भी पक्ष को उसके द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है और 6) कि यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, तो न्यायालय को ऐसी गलती को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए।

अपील को स्वीकार कर न्यायालय ने

प्रतिपादित किया: 1.1. इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई औपचारिक आवेदन दायर नहीं किया गया था और न ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई मौखिक प्रार्थना की गई थी कि दोनों गवाहों से जिरह करने के अधिकार का प्रयोग तब तक सुरक्षित रखा जा रहा था जब तक ट्रैप लेयिंग अधिकारी परीक्षित नहीं होता। इसी स्तर पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही इस आशय की कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है, लेकिन उनका इरादा ट्रैप लेयिंग अधिकारी के बयान के बाद ही दोनों गवाहों से जिरह करने का था। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हमें लगता है कि अधिवक्ता द्वारा दिया गया विवरण वास्तव में सही कारण हो सकता है कि दोनो गवाहों से उनके मुख्य परीक्षण लेखबद्ध होने के बाद जिरह क्यों नहीं की गई। हम मुख्य रूप से ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी योग्य वकील, विशेष रूप से वह जिसके पास अपीलकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील की तरह बार में पर्याप्त अनुभव है, उस मामले में जिरह करने का अवसर नहीं जाने देगा जहां गवाहों ने न केवल अभियोजन पक्ष के रिश्वत की मांग के संस्करण का समर्थन किया है बल्कि साथ-साथ उसके भुगतान और उस उद्देश्य के लिए बिछाए गए ट्रैप की सफलता के संबंध में भी समर्थन किया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब बयान की प्रकृति पर निर्भर करता है और क्या बचाव पक्ष स्थापित किए जाने वाले तथ्य पर विवाद करता है। यदि उसके बयानो में

जो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उससे अभियुक्त अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है तो कभी-कभी औपचारिक गवाहों से जिरह नहीं की जाती है। आम तौर पर गवाही की प्रकृति और क्या यह अभियुक्त को दोषी ठहराता है यह बात जिरह करने के निर्णय का मार्गदर्शक होता है। ऐसे मामले में इसका कोई सवाल ही नहीं होता की बचाव पक्ष उनसे जिरह नहीं करे जहां शिकायतकर्ता ने पीडब्लू 1 के रूप में परीक्षित होकर और शैडो गवाह ने पीडब्लू 2 के रूप में परीक्षित होकर अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया और न केवल रिश्वत की मांग के संबंध में बल्कि अपीलकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति के संबंध में अभियोजन संस्करण का समर्थन किया है। दोनो गवाहों ने निस्संदेह अपीलकर्ता के खिलाफ मामले का आधार प्रदान किया और यदि उनकी गवाही को चुनौती नहीं दी गई, तो अपीलकर्ता के पास दौराने सुनवाई बहस करने हेतु कुछ भी नहीं था। तब दिए हुए बयानों को सच मान कर स्वीकार कर उस पर विश्वास किया जायेगा।

1.2. न्यायालय यह मानने का इच्छुक हैं कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई थी, इसलिए नहीं कि उनकी गवाही में अपीलकर्ता के खिलाफ दोषरोपण बाबत कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि अपीलकर्ता के वकील का वास्तव में ट्रैप लेयिंग अधिकारी के बयानों के बाद उनसे जिरह करने का इरादा था। यह तथ्य कि जिस समय जिरह स्थगित की गई थी उस समय अपीलकर्ता ने इस आशय

का कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया था और न ही अदालत से इस आशय की कोई मौखिक प्रार्थना की थी, यह एक गलती हो सकती है जिसे टाला जा सकता था और जिससे गवाहों को वापस बुलाने में हुई परेशानी से अपीलकर्ता बच सकता था। लेकिन केवल इसलिए कि एक गलती की गई थी, इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि उसके वकील द्वारा की गई गलती की गंभीरता से पूरी तरह से अनुरूप दंड आरोपी को भुगतना पड़े। गवाहों को जिरह के लिए वापस बुलाने के अपीलकर्ता के अवसर से इनकार करना अपीलकर्ता को संस्करण की यथार्थता और गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देने का अवसर दिए बिना उसे दोषी ठहराने के समान होगा। यह सही बात है कि चाहे वह दीवानी मामले हो या फौजदारी मामले हो, गवाहों की विश्वसनीयता, तभी परखी जा सकती है जब गवाह से जिरह की जाती है। ऐसा करने का अवसर देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में न्याय की गंभीर विफलता होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे किसी भी इनकार के बाद गंभीर परिणाम होंगे।

1.3. न्यायालय में धारा 311 सीआरपीसी के तहत गवाहों को वापस बुलाने शक्ति की निहित है। धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य किसी भी पक्ष की ओर से मूल्यवान साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने या गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने की गलती के कारण न्याय की विफलता को रोकना था। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उचित अवसर प्रदान

करना हर निष्पक्ष सुनवाई का उद्देश्य है। सत्य की खोज किसी भी मुकदमे या जांच का आवश्यक उद्देश्य है।

1.4. न्यायालय को इस तथ्य का इल्म है कि गवाहों को वापस बुलाने का निर्देश उनके बयान लेखबद्ध होने के लगभग चार साल बाद दिया जा रहा है वह भी लगभग सात साल पुरानी घटना के बारे में। उचित समय अवधि के भीतर मामलों का फैसला करने में न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में संदेह पैदा करने के साथ साथ देरी मानवीय स्मृति पर भी भारी असर डालती है। उस हद तक श्री रावल द्वारा व्यक्त की गई आशंका, कि देर से वापस बुलाने के कारण अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पूरी तरह से बिना किसी आधार के नहीं है। ऐसा कहने के बाद, हमारी राय है कि तर्क की समानता पर और गवाहों से जिरह करने के अवसर से इनकार करने के परिणामों को देखते हुए, हम अभियोजन पक्ष को उसकी कीमत पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के बजाय अपीलकर्ता को एक अवसर मिलने के पक्ष में गलती करना पसंद करेंगे।। मुकदमे की निष्पक्षता एक ऐसा गुण है जो हमारी न्यायिक प्रणाली में पवित्र है और उस गुण की रक्षा के लिए कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं है। अभियोजन के प्रति संभावित प्रतिकूल प्रभाव कोई कीमत भी नहीं है, उस कीमत के समक्ष जो आरोपी को खुद का बचाव करने के उचित अवसर से वंचित करने को उचित ठहराए।

1.5. यह निर्देशित किया जाता है कि पीडब्लू 1 और 2 को ट्रायल कोर्ट द्वारा वापस बुलाया जाए और अपीलकर्ता को उक्त गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाए। ट्रायल कोर्ट दो गवाहों की परीक्षा शीघ्रता से और अनावश्यक देरी के बिना समाप्त करने का प्रयास करेगा।

राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक सेल **1999 एससीसी (सीआरएल) 1062;** सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2003) 1 एससीसी 240: 2002 (3) आपूर्ति एससीआर 128;** हनुमान राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **(2008) 15 एससीसी 652: 2008 (14) एससीआर 348;** हॉफमैन एंड्रियास बनाम सीमा शुल्क निरीक्षक, अमृतसर **(2000) 10 एससीसी 430;** मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ एवं अन्य **1991 आपूर्ति (1) 271: 1991 (1) एससीआर 712 और** मारिया मार्गरीडा सेक्वेरिया फर्नांडीस बनाम एरास्मो जैक डे सेक्वेरिया एलआर **2012 (3) स्केल 550 - पर आधारित।**

न्यायिक दृष्टान्त का हवाला :

1999 एससीसी (सीआरएल) 1062	**के**	**पैरा 7 पर निर्भर**
2002 (3) पूरक एससीआर 128	**के**	**पैरा 10 पर निर्भर**
2008 (14) एससीआर 348	**के**	**पैरा 12 पर निर्भर**
(2000) 10 एससीसी 430	**के**	**पैरा 13 पर निर्भर**
1991 (1) एससीआर 712	**के**	**पैरा 14 पर निर्भर**

2012 (3) स्केल 550 के पैरा 15 पर निर्भर

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 874-875/2012।

हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2011 के आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 534 और 710 के निर्णय और आदेश दिनांक 29.03.2011 से।

अपीलकर्ता के लिए एटीएम रंगा रामानुजन, गौरी करुणा दास मोहंती, दीपक अग्निहोत्री, प्रखर शर्मा, संजीव कुमार शर्मा, अनु गुप्ता।

प्रतिवादी के लिए हरिन पी. रावल, एएसजी, डी. महेश बाबू, मयूर आर. शाह, अमित के नैन, सुचित्रा हरंगखवात, आनंदो मुखर्जी, पीके डे, राजीव नंदा, अरविंद कुमार शर्मा।

`न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

टी.एस. ठाकुर, जे. 1. अनुमोदन स्वीकार किया गया।

2. ये अपीलें आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29 मार्च, 2011 के एक आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर 2011 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 534 और 710 को खारिज कर दिया गया और 22 जनवरी, 2011 को सी.बी.आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद द्वारा सी.आर.एल. एमपी नंबर 18 और 19 में पारित आदेश को सही ठहराया गया।

3. अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 7 और 13 (1) स्पतिथ धारा 13 (1) (डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सी.बी.आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष मुकदमा चल रहा है। लगभग उसी समय जब अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य पूरा कर लिया, अपीलकर्ता ने धारा 242 और 311 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 और 2 को जिरह के लिए वापस बुलाने हेतु आपराधिक विविध याचिका सन 2011 की संख्या 18 और 19 दायर की। उक्त 2011 की याचिका संख्या 18 के आपराधिक विविध में अपीलकर्ता का मामला यह था कि पीडब्लू 1 और 2 की जिरह तब तक के लिए स्थगित कर दी गई थी जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रैप लेयिंग अधिकारी (पीडब्लू 11) को परीक्षित नहीं किया जाता है और चूंकि उक्त अधिकारी को परीक्षित किया जा चूका है, ऐसे में अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने हेतु उक्त गवाहान को वापस बुलाया जाना चाहिए। उक्त 2011 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 19 में याचिकाकर्ता ने मामले में जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू 12) की जिरह को तब तक के लिए स्थगित करने की प्रार्थना की, जब तक कि पीडब्लू 1 और 2 की जिरह नहीं हो जाती।

4. उपरोक्त दोनों आवेदनों का अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध किया गया जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने 22 जनवरी, 2011 के अपने आदेश के अनुसार उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने देखा की:

"चाहे जो भी कारण हो पीडब्लू 1 और 2 की जिरह को "शून्य" के रूप में दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बाद में कभी गवाहों से जिरह करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। कोर्ट के दस्तावेज़ याचिकाकर्ता के ऐसे किसी इरादे को नहीं दर्शाते हैं।"

5. ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि पीडब्लू 1 और 2 को उनके बयान लेखबद्ध हो जाने के साढ़े तीन साल से अधिक समय के बाद जिरह के लिए वापिस बुलाया जा रहा है वह भी उस घटना के लिए जो 7 साल पहले हुई थी जिसके संबंध में जांच के दौरान पीडब्लू 1 और 2 के बयान लेखबद्ध किये जा चुके थे, ऐसे में पीडब्लू 1 और 2 को वापस बुलाने से अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। ट्रायल कोर्ट का विचार था कि अपीलकर्ता ने ट्रायल प्रक्रिया के प्रति एक अनौपचारिक और आसान दृष्टिकोण अपनाया था और वह बिना किसी ठोस कारणों के गवाह को वापस बुलाने के लिए याचना नहीं कर सकता था।

6. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की, जैसा कि पहले देखा गया था, इन अपीलों में दिए गए आदेश के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया कि पीडब्लू 1 और 2 को क्रमशः 13 जून, 2008 और 31 जुलाई, 2008 को

परीक्षित किया गया था और उसके बाद लगभग एक दर्जन अभियोजन गवाहों को परीक्षित किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि चूंकि यह वर्ष 2005 का एक पुराना मामला था और मामला अब धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलकर्ता-अभियुक्त के बयान मुल्जिम के स्तर पर है, ऐसे में अभियोजन पक्ष के गवाहान संख्या 1 और 2 को वापस बुलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तदनुसार पुनरीक्षण याचिकाएँ खारिज कर दी गई।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एटीएम रंगा रामानुजन ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने इस मामले पर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, बिना इस बात की परवाह किए कि अपीलकर्ता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यदि पीडब्लू 1 और 2 से जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई और उस उद्देश्य के लिए गवाहों को वापस बुलाना अस्वीकार कर दिया गया तो। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के वकील इस सदाशयी विश्वास में थे की अभियोजन पक्ष के गवाहों पीडब्लू 1 और 2 से जिरह पीडब्लू-11 के परिक्षण के बाद की जा सकती है, जो पीडब्लू 1 और 2 मुख्य गवाह थे, उनमें से एक शिकायतकर्ता था और दूसरा गवाह जिसने कथित तौर पर बातचीत सुनी और अभियुक्त तक रिश्वत पहुंचते हुए देखा। यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने वाले वकील ने एक व्यक्तिगत हलफनामा भी दायर किया था जिसमें यह कथन अंकित किया गया था कि

पी.डब्ल्यू. 1 और 2 से उसने इस सदाशयी विश्वास के तहत जिरह नहीं की थी कि ट्रैप लेयिंग अधिकारी (पीडब्लू-11) के साक्ष्य दर्ज होने के बाद वह ऐसा कर सकता है। श्री रामानुजन ने आग्रह किया कि वकील ने यह मानकर गलती की होगी कि अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 1 और 2 को बाद के चरण में जिरह के लिए बुलाया जा सकता है हलाकि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को ऐसा करने की स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी, ऐसी गलती से अपीलकर्ता को उक्त गवाहों से जिरह करने का उचित अवसर देने से इनकार करके विचारण को दूषित नहीं किया जाना चाहिए। इस न्यायालय के फैसले *राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक सेल* [1999 एससीसी (सीआरआई) 1062] पर विद्वान वकील द्वारा भरोसा जताया गया, अपने इस कथन के समर्थन में कि किसी मुकदमे में शामिल किसी भी पक्ष को उसके द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या किसी असावधानी के कारण प्रासंगिक सामग्री को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, तो न्यायालय को ऐसी गलती को सुधारने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए।

8. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित श्री एच.पी. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रावल ने तर्क दिया कि हालांकि पीडब्लू 1 और 2 की जिरह को आरोपी के विकल्प पर बाद के चरण के लिए स्थगित किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के रिकॉर्ड से ऐसा दर्शित नहीं होता की इस बाबत कोई अनुरोध किया हो या अभियुक्त को कोई स्वतंत्रता आरक्षित की

गई हो। श्री रावल के अनुसार, यह एक ऐसा मामला था जहां अभियुक्त और उसके वकील को जिरह करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाने का फैसला किया था, इस मामले में अभियुक्त द्वारा गवाहों को वापस बुलाने के लिए देरी से अनुरोध कर जिरह करने के अधिकार का प्रयोग किया जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से खारिज किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा उस अस्वीकृति की पुष्टि की गई है। यह भी तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को वापस बुलाने, जो पहले चरण में जिरह के बिना चले गए थे, से अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि विचाराधीन घटना वर्ष 2005 जितनी पुरानी है, जबकि वापस बुलाने का अनुरोध अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 2011 में किया था अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप विरचित होने के लगभग चार साल बाद।

9. अपीलकर्ता, जो बीएसएनएल, करीमनगर में उपमंडल अधिकारी के रूप में कार्यरत था, पर शिकायतकर्ता से 3,000/- रुपये की रिश्वत मांगने और प्राप्त करने का आरोप है, जिसे मुकदमे में पीडब्लू1 के रूप में परीक्षित किया गया। सीबीआई के नेतृत्व में बिछाये गए जाल में पीडब्लू 2 एक स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल था जिसमे याचिकाकर्ता को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता मिली, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र मार्च 2005 में सी.बी.आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश, हैदराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के

खिलाफ 7 दिसंबर, 2006 को आरोप विरचित किए गए थे। जबकि मामले में शिकायतकर्ता पीडब्लू 1 को दो अलग-अलग तारीखों यानी 3 मार्च, 2008 और 13 जून, 2008 को परीक्षित किया गया था, इसी तरह अभियोजन पक्ष के गवाह नं. 2 को 18 जुलाई, 2008 और 31 जुलाई, 2008 कोपरीक्षित किया गया था। यह सामान्य आधार है कि दोनों गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले में साथ दिया है क्योंकि उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि दो गवाहों के बयान अपीलकर्ता के खिलाफ दोषारोपण कर रहे हैं और किसी भी जिरह के अभाव में यह माना जा सकता है कि उनके कथन अखंडनीय रहे है। यह भी सामान्य बात है कि पीडब्लू. 3 से 11 को 31 जुलाई, 2008 और 28 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान परीक्षित किया गया। ट्रैप लेयिंग अधिकारी (पीडब्ल्यू 11) को 18 फरवरी, 2010 और 1 अप्रैल, 2010 को परीक्षित किया गया। पहले संदर्भित दो आवेदन उस स्तर में ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए थे, एक में पीडब्लू 1 और 2 को जिरह के लिए वापस बुलाने की याचना की गई थी और दूसरा पीडब्ल्यू 12 की जिरह को तब तक के लिए स्थगित करने के लिए जब तक की पीडब्ल्यू 1 और 2 को वापस बुला कर उनकी जिरह न हो जाए।

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या पीडब्ल्यू 1 और 2 से जिरह न करने का निर्णय याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कारणों से था या किसी अन्य कारण से। इसमें कोई विवाद नहीं है कि

याचिकाकर्ता द्वारा कोई औपचारिक आवेदन दायर नहीं किया गया था और न ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई मौखिक प्रार्थना की गई थी कि दोनों गवाहों से जिरह करने के अधिकार का प्रयोग तब तक सुरक्षित रखा जा रहा था जब तक ट्रैप लेयिंग अधिकारी परीक्षित नहीं होता। इसी स्तर पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भले ही इस आशय की कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है, लेकिन उनका इरादा ट्रैप लेयिंग अधिकारी के बयान के बाद ही दोनों गवाहों से जिरह करने का था। मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हमें लगता है कि अधिवक्ता द्वारा दिया गया विवरण वास्तव में सही कारण हो सकता है कि दोनो गवाहों से उनके मुख्य परीक्षण लेखबद्ध होने के बाद जिरह क्यों नहीं की गई। हम मुख्य रूप से ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी योग्य वकील, विशेष रूप से वह जिसके पास अपीलकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील की तरह बार में पर्याप्त अनुभव है, उस मामले में जिरह करने का अवसर नहीं जाने देगा जहां गवाहों ने न केवल अभियोजन पक्ष के रिश्वत की मांग के संस्करण का समर्थन किया है बल्कि साथ-साथ उसके भुगतान और उस उद्देश्य के लिए बिछाए गए ट्रैप की सफलता के संबंध में भी समर्थन किया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अभियोजन पक्ष के प्रत्येक गवाह से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब बयान की प्रकृति पर निर्भर करता है और क्या बचाव पक्ष स्थापित किए जाने वाले तथ्य पर विवाद करता है। यदि उसके बयानो में जो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उससे अभियुक्त अधिवक्ता को

कोई आपत्ति नहीं है तो कभी-कभी औपचारिक गवाहों से जिरह नहीं की जाती है। आम तौर पर गवाही की प्रकृति और क्या यह अभियुक्त को दोषी ठहराता है यह बात जिरह करने के निर्णय का मार्गदर्शक होता है। ऐसे मामले में इसका कोई सवाल ही नहीं होता की बचाव पक्ष उनसे जिरह नहीं करे जहां शिकायतकर्ता ने पीडब्लू 1 के रूप में परीक्षित होकर और शैडो गवाह ने पीडब्लू 2 के रूप में परीक्षित होकर अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया और न केवल रिश्वत की मांग के संबंध में बल्कि अपीलकर्ता द्वारा इसकी प्राप्ति के संबंध में अभियोजन संस्करण का समर्थन किया है। दोनो गवाहों ने निस्संदेह अपीलकर्ता के खिलाफ मामले का आधार प्रदान किया और यदि उनकी गवाही को चुनौती नहीं दी गई, तो अपीलकर्ता के पास दौराने सुनवाई बहस करने हेतु कुछ भी नहीं था। तब दिए हुए बयानों को सच मान कर स्वीकार कर उस पर विश्वास किया जायेगा। इस संबंध में, हम इस न्यायालय के फैसले *सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य* (2003) 1 एससीसी 240 में से निम्नलिखित भाग को देखे तो:

> "यह न्याय का मौलिक नियम है कि जब भी विपक्षी ने जिरह में अपने मामले को रखने के अवसर का लाभ उठाने से इनकार कर दिया है, तो इसका पालन करना चाहिए कि उस मुद्दे पर दिए गए साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।"

11. इसलिए, हम यह मानने के इच्छुक हैं कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई थी, इसलिए नहीं कि उनकी गवाही में अपीलकर्ता के खिलाफ दोषरोपण बाबत कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि अपीलकर्ता के वकील का वास्तव में ट्रैप लेयिंग अधिकारी के बयानों के बाद उनसे जिरह करने का इरादा था। यह तथ्य कि जिस समय जिरह स्थगित की गई थी उस समय अपीलकर्ता ने इस आशय का कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया था और न ही अदालत से इस आशय की कोई मौखिक प्रार्थना की थी, यह एक गलती हो सकती है जिसे टाला जा सकता था और जिससे गवाहों को वापस बुलाने में हुई परेशानी से अपीलकर्ता बच सकता था। लेकिन केवल इसलिए कि एक गलती की गई थी, इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि उसके वकील द्वारा की गई गलती की गंभीरता से पूरी तरह से अनुरूप दंड आरोपी को भुगतना पड़े। गवाहों को जिरह के लिए वापस बुलाने के अपीलकर्ता के अवसर से इनकार करना अपीलकर्ता को संस्करण की यथार्थता और गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देने का अवसर दिए बिना उसे दोषी ठहराने के समान होगा। यह सही बात है कि चाहे वह दीवानी मामले हो या फौजदारी मामले हो, गवाहों की विश्वसनीयता, तभी परखी जा सकती है जब गवाह से जिरह की जाती है। ऐसा करने का अवसर देने से इनकार करने के परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में न्याय की गंभीर विफलता होगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे किसी भी इनकार के बाद गंभीर परिणाम होंगे।

12. धारा 311 सीआरपीसी के तहत गवाहों को वापस बुलाने के लिए न्यायालयों में निहित शक्ति की प्रकृति और उसकी हद पर विचारण इस न्यायालय द्वारा *हनुमान राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य* (2008) 15 एससीसी 652 में की गई थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य किसी भी पक्ष की ओर से मूल्यवान साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने या गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने की गलती के कारण न्याय की विफलता को रोकना था। इस न्यायालय ने देखा की:

> "यह एक पूरक प्रावधान है जो कुछ परिस्थितियों में न्यायालय को सक्षम बनाता है और उस पर यह भार डालता है की वह एक महत्वपूर्ण गवाह को परीक्षित करे जिसे अन्यथा उसके सामने नहीं लाया जाएगा। यह यथासंभव व्यापक शब्दों में समाहित है और इसमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है, न तो उस स्तर के संबंध में जिस स्तर पर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या न ही उस तरीके के संबंध में जिसमें इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यह न केवल न्यायालय का विशेषाधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है कि वह उन गवाहों को परीक्षित करे, जिन्हें वह राज्य और विषय के बीच न्याय करने के लिए बिल्कुल आवश्यक समझता है। न्यायालय का यह कर्तव्य है

की वह सभी विधिसम्मत माध्यम से सच्चाई तक पहुंचे और ऐसे माध्यम में से एक है अपनी मर्जी से गवाहों को परीक्षित करना, जब कुछ स्पष्ट कारणों से कोई भी पक्ष उन गवाहों को बुलाने के लिए तैयार नहीं है जो इसमें शामिल महत्वपूर्ण प्रासंगिक तथ्य बोलने की स्थिति के लिए जाने जाते हैं।

संहिता की धारा 311 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि मूल्यवान साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती या दोनों ओर से जांचे गए गवाहों के बयानों में अस्पष्टता छोड़ने के कारण न्याय में विफलता नहीं हो सकती है। निर्धारक तत्व यह है कि क्या यह मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। यह धारा केवल अभियुक्तों के लाभ तक ही सीमित नहीं है, और इस धारा के तहत किसी गवाह को केवल इसलिए बुलाना न्यायालय की शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है, न कि अभियुक्त के मामले का। यह धारा एक सामान्य धारा है जो संहिता के तहत सभी कार्यवाहियों, जांच और विचारणो पर लागू होती है और मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्यवाही, विचारण या जांच के किसी भी चरण में किसी भी गवाह को समन जारी करने का अधिकार

देती है। *धारा 311 में जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होती है वह यह है "इस संहिता के तहत जांच या विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में"।* हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चूँकि धारा गवाहों को बुलाने पर न्यायालय को बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करती है, प्रदत्त विवेक का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होगी जुडिशल माइंड के प्रयोग की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी ।"

(प्रमुखता प्रदान करना)

13. इस न्यायालय ने *हॉफमैन एंड्रियास बनाम सीमा शुल्क निरीक्षक,* अमृतसर (2000) 10 एससीसी 430 मामले में यह देखा कि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना हर निष्पक्ष सुनवाई का उद्देश्य था। इस संबंध में निम्नलिखित परिच्छेद उपयुक्त है:

"ऐसी परिस्थितियों में, यदि नए वकील ने महत्वपूर्ण गवाहों की आगे जांच करने के बारे में सोचा, तो न्यायालय न्याय के हित में अक्षांश और उदार दृष्टिकोण अपना सकता है, खासकर जब न्यायालय के पास इस मामले में निरंकुश शक्तियां हैं जैसा कि धारा 311 के कोड में निहित है। आख़िरकार मुक़दमा मूल रूप से कैदियों के लिए है और

न्यायालयों को यथासंभव निष्पक्ष तरीके से उन्हें अवसर देना चाहिए।"

(प्रमुखता प्रदान करना)

14. गवाहों को वापस बुलाने की न्यायालय की शक्ति का विस्तार और दायरे की जांच इस न्यायालय द्वारा *मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य* 1991 अनुपूरक (1) 271 में की गई थी, जहां इस न्यायालय ने देखा:

"उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से जो कानून का सिद्धांत उभरता है वह यह है कि *आपराधिक न्यायालय के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाने या ऐसे किसी भी व्यक्ति को वापस बुलाने और फिर से परीक्षित करने की पर्याप्त शक्ति है, भले ही दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद हो गए हो और अदालत का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से स्थिति की तात्कालिकता से तय होना चाहिए, और निष्पक्षता और अच्छी समझ ही एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक प्रतीत होती है और यह कि केवल न्याय की आवश्यकताएं किसी भी व्यक्ति की कमान और परीक्षा हैं जो प्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियो पर निर्भर होंगी।"*

(प्रमुखता प्रदान करना)

15. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने *मारिया मार्गरिडा सेक्वेरिया फर्नांडीस बनाम इरास्मो जैक डी सेक्वेरिया में एलआरएस* 2012 (3) स्केल 550 में देखा की सत्य की खोज किसी भी मुकदमे या जांच का आवश्यक उद्देश्य है। उस महत्त्वपूर्ण कर्तव्य का समय पर अनुस्मारक निम्नलिखित शब्दों में दिया गया था:

> "लोग जो अपेक्षा करते हैं वह यह है कि न्यायालय को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में सच्चाई कहां है। न्यायिक प्रणाली की शुरुआत से ही यह स्वीकार किया गया है कि न्याय की अदालतों के अस्तित्व के पीछे सत्य की खोज, पुष्टि और स्थापना मुख्य उद्देश्य हैं।"

16. हमे इस तथ्य का इल्म है कि गवाहों को वापस बुलाने का निर्देश उनके बयान लेखबद्ध होने के लगभग चार साल बाद दिया जा रहा है वह भी लगभग सात साल पुरानी घटना के बारे में। उचित समय अवधि के भीतर मामलों का फैसला करने में न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता के बारे में संदेह पैदा करने के साथ साथ देरी मानवीय स्मृति पर भी भारी असर डालती है। उस हद तक श्री रावल द्वारा व्यक्त की गई आशंका, कि देर से वापस बुलाने के कारण अभियोजन पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पूरी तरह से बिना किसी आधार के नहीं है। ऐसा कहने के बाद, हमारी राय है कि तर्क की समानता पर और गवाहों से जिरह करने के अवसर से

इनकार करने के परिणामों को देखते हुए, हम अभियोजन पक्ष को उसकी कीमत पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के बजाय अपीलकर्ता को एक अवसर मिलने के पक्ष में गलती करना पसंद करेंगे।। मुकदमे की निष्पक्षता एक ऐसा गुण है जो हमारी न्यायिक प्रणाली में पवित्र है और उस गुण की रक्षा के लिए कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं है। अभियोजन के प्रति संभावित प्रतिकूल प्रभाव कोई कीमत भी नहीं है, उस कीमत के समक्ष जो आरोपी को खुद का बचाव करने के उचित अवसर से वंचित करने को उचित ठहराए।

17. परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर 1 और 2 को ट्रायल कोर्ट द्वारा वापस बुलाया जाएगा और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। अपीलकर्ता के वकील के प्रति निष्पक्षता में, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गवाहों से जिरह करने का जो अवसर दिया गया है उसमे सुनवाई की दो तारीखों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, प्रत्येक गवाह के लिए एक-एक दिन बिना किसी अनावश्यक देरी या विलंब के। ट्रायल कोर्ट दो गवाहों के बयान शीघ्रता से और अनावश्यक देरी के बिना समाप्त करने का प्रयास करेगा। दोनों पक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष 6 अगस्त, 2012 को उपस्थित आएंगे।

बी.बी.बी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।